निवास या व्यवसाय के उद्देश्य से या तो पट्टे पर या लाइसेंस पर, भंडारण, घड़ी और वार्ड सुविधाओं, कैंटीन, जलपान कक्ष आदि सहित सभी सहायक सुविधाओं के साथ। उक्त मामले में, करदाता ने इमारत और उस अवधि से संबंधित अन्य सुविधाओं के संबंध में मूल्यह्रास का दावा किया था, जिसमें इमारत पट्टे पर देने की तैयारी की प्रक्रिया में थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा था कि करदाता उक्त अवधि के लिए मूल्यह्रास का दावा करने का हकदार होगा। वर्तमान मामले के तथ्य हालांकि बिल्कुल समान नहीं हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इमारत की खरीद के बाद प्रतिवादी-करदाता ने इकाई को चलाने के लिए विद्युत फिटिंग स्थापित की थी। जैसा कि पहले ही देखा गया है, जवाब देने वालाकुछ महीनों के भीतर उक्त इमारत में अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने में सक्षम था। इस प्रकार यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि इस क्षणभंगुर अवधि के दौरान, निर्धारिती द्वारा खरीदी गई इमारत का "उपयोग" किया गया था।

(8) उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम इस न्यायालय को संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में देते हैं, अर्थात, उत्तरदाता के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ में। मामले की परिस्थितियों में, इस संदर्भ की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.के.एस.

एस. एस. संधावालिया से पहले, सी.जे . दक्षिणी। तेवतिया, जे।

दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1979 का 921।

27 अप्रैल, 1982।

भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद 301, 304, 305, 366 और 372 - पंजाब आबकारी अधिनियम (1914 का 1) - धारा 31, 32 - पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 1968 , 1969 और 1974 - उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत जारी राजकोषीय आदेश संविधान के लागू होने के समय पहले से मौजूद एक निश्चित दर पर निर्यात शुल्क लगाते हैं । लागू किए गए आदेश - ऐसे आदेश - अनुच्छेद 366 के संदर्भ में "मौजूदा कानूनों" को लागू करना ताकि अनुच्छेद 372 द्वारा संरक्षित किया जा सके - बड़े पैमाने पर वृद्धि

दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड बहुत। हरियाणा राज्य और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने वाली या अनुच्छेद 304 और 305 द्वारा संरक्षित होने पर संशोधित भावना के आधार पर कर्तव्य का निर्वहन करना ।

उन्होंने कहा कि पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) आदेश, 1968, 1969 और 1974 पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय आदेश, 1932 में संशोधन के माध्यम से जारी किए गए हैं, जो पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 31 और 32 के तहत जारी किए गए थे। माना जाता है कि उत्पाद शुल्क अधिनियम और पंजाब आबकारीराजकोषीय आदेश, 1932 संविधान-पूर्व कानून थे, लेकिन निर्यात शुल्क की दर को 1968, 1969 और 1974 के लागू राजकोषीय आदेशों द्वारा बढ़ाया गया है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि आबकारी अधिनियम और 1932 का मूल पंजाब राजकोषीय आदेश पूर्व-संवैधानिक कानून हैं, इसलिए, बाद में संविधान के बाद के संशोधन को भी उसी चरित्र का माना जाना चाहिए। भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 366 (10) द्वारा, "मौजूदा कानूनों" का अर्थ किसी कानून, अध्यादेश, उप-कानून, नियम या विनियमन से है जो संविधान के प्रारंभ से पहले किसी कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम या विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले किसी कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम या विनियम द्वारा पारित या बनाया गयाहै। संविधान के अनुच्छेद 366 के अर्थ के भीतर "मौजूदा कानूनों" का अर्थ पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 है और इस प्रकार यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि 1968, 1969 और 1974 के लागू राजकोषीय आदेश संविधान पूर्व "मौजूदा कानून" नहीं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 372 केआधार पर संरक्षित या निरस्त हैं।

* (पैरा 7 और 8)।

माना जाता है कि संविधान का अनुच्छेद *301* व्यापक आयाम और इस प्रकार घोषित व्यापार की स्वतंत्रता के संदर्भ में राज्य के भीतर बाधाओं या अवरोधों को लागू करने के साथ-साथ अंतर-राज्य और सभी प्रतिबंध या बाधाएं जो सीधे और तुरंत व्यापार, वाणिज्य और संभोग के मुक्त प्रवाह को बाधित या बाधित करती हैं, अनुच्छेद 301 के निषेध के अंतर्गत आती हैं और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।संस्थान को शून्य माना जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यात शुल्क में भारी वृद्धि राज्यों के बीच व्यापार के मुक्त प्रवाह को सीधे तौर पर बाधित या बाधित करेगी। इस प्रकार निर्यात शुल्क में की गई वृद्धि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3O1 का उल्लंघन है।,

(सेवा 7)।

माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 305 के तहत परिकल्पित कोई राष्ट्रपति आदेश लागू राजकोषीय आदेशों के संदर्भ में नहीं किया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 304 ™का खंड (ए) भी इस मामले से आकर्षित नहीं होता है क्योंकि लागू किए गए राजकोषीय आदेशों में

इसके खंड (ख) के आधार पर प्रख्यापित किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि इस खंड में विशिष्ट माध्य के भीतर कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो निर्यात शुल्क में वृद्धि को पवित्र कर सकता है। इस प्रकार यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 304 और 305 के आधार पर राजकोषीय आदेशों की रक्षा नहीं की जाती है।

VI•

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि इस आदेशको स्वीकार किया जाए, मामले के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और :

(a) पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश, 1932 के राजकोषीय आदेश 1-ए को पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के प्रावधानों से बाहर के रूप में निरस्त किया जाए;

(b) दिनांक 30 सितंबर, 1968, 25 मार्च, 1969 और 1 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना ओं के अनुलग्नक पी-1 से पी-3 को क्रमशः अधिसूचना में उल्लिखित आधारों पर निरस्त किया जाए;

(c) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता से *1980* पी रूफलीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट के निर्यात पर वसूली गई 19980 रुपये की राशि वापस करें;

(d) प्रस्ताव के अग्रिम नोटिस की सेवा और याचिकाकर्ता को दी गई याचिका की लागत।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि इस याचिका का निर्णय लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को हरियाणा से ड्यूटी का भुगतान किए बिना संशोधित भावना को उठाने की अनुमति दीजाए। याचिकाकर्ता तैयार है औरइसमें शामिल राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।

याचिकाकर्ता की ओर से रोमेश कुमार और एके जसवाल के साथ वकील भागीरथ दास।

एच'अर्भगवान सिंह, ए.जी. के साथ बी.एस. पवार, ए.ए.जी.

केएस कुंडू की ओर से राजदीप टोबारिया, प्रतिवादी नंबर 3 के लिए, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

(1) संविधान के लागू होने के बाद 1968>, 1969 और 1974 के पंजाब उत्पाद शुल्क (हरियाणा संशोधन) आदेशों द्वारा संशोधित 30 निर्यात शुल्क की ज्यामितीय वृद्धि क्या देश के साथ व्यापार और वाणिज्य की गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, यह एक सार्थक प्रश्न है जो डिवीजन बेंच के इस संदर्भ में सामने आया है।

दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एस. एस. संधावालिया, सी.जे.)

2. याचिकाकर्ता मेसर्स दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड, जम्मू में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, याचिकाकर्ताकंपनी जम्मू में अपनी डिस्टिलरी में भारत निर्मित विदेशी शराब बनाती है, जिसके लिए संशोधित स्प्रिट कच्चा माल है और यह माना जाता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में इस सामग्री की कमी के कारणकंपनी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में रेक्टिफाइड स्प्रिट का निर्माण करने वाली डिस्टिलरी से इसका आयात करना पड़ता है। पंजाब ई एक्ससीज़ अधिनियम के तहत जारी पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय आदेश 1932 के आधार पर संविधान के लागू होने से पहले, प्रति लंदन प्रूफ गैलन के हिसाब से आना /2 /- का निर्यात शुल्क संशोधित भावना पर लगाया जाता था। इसके लिए 3 पैसे प्रति प्रूफ लीटर का

मामूली शुल्क लगाया गया था, लेकिन उसके बाद इस निर्यात शुल्क की मात्रा में ज्यामितीय वृद्धि हुई है, जिससे पेटी-कंपनी असंतुष्ट होने का दावा करती है। 30 सितंबर, 1968 को पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 1968 (अनुलग्नक पी 1 की प्रति) के तहत इस शुल्क को बढ़ाकर 25 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया। बाद में 25 मार्च, 19 जी9 (अनुलग्नक पी 2) के इसी प्रकार के राजकोषीय आदेश द्वारा इसे 1 अप्रैल, 1969 से पुन बढ़ाकर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया। 1 अप्रैल, 1974 को पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय (हरियाणा द्वितीय संशोधन) आदेश, 1974 (अनुलग्नक पृष्ठ 3) के तहत 1 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगाकर शुल्क में एक और शत-प्रतिशत वृद्धि की गई।

3. 11 जनवरी, 1979 को, याचिकाकर्ता-कंपनी ने पानीपत सहकारी डिस्टिलरी, पानीपत से 19,980 प्रूफ लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट खरीदा, और परिणामस्वरूप 1 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से निर्यात शुल्क के रूप में 19980 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया, जैसा कि ऊपर अनुबंध पी 3 में निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता-कंपनी ने बढ़े हुए निर्यात शुल्क को व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा के रूप में वर्णित किया और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के साथ-साथ अनुच्छेद 19 (1) (जी), 31, 265 और 305 का उल्लंघन किया। यह बताया गया है कि आक्षेपित राजकोषीय आदेश के प्रख्यापन के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी?, अनुलग्नक पी. 1 से पी. 3 तक, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 305 के तहत आवश्यक है।

4. निर्यात शुल्क में वृद्धि को चुनौती देने के अलावा , याचिकाकर्ता-कंपनी ने निर्यात शुल्क लगाने के लिए प्रतिवादी राज्य के अधिकार क्षेत्र को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि संशोधित भावना एक निर्यात योग्य वस्तु नहीं है क्योंकि पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 3 के तहत यह मानव उपभोग के लिए मादक शराब नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधित भावना दूर-दूर तक नहीं है

अधिनियम की धारा 3 (6) (ए) के तहत निर्धारित परिभाषा के दायरे में आते हैं।

5. प्रतिवादी-राज्य की ओर से दायर रिटर्न में तथ्यात्मकआधार विवादित नहीं है। हालांकि, कानूनी विवाद का मुख्य कारण यह है कि लागू किए गए संशोधित राजकोषीय आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत जारी किए गए हैं और पंजाब उत्पाद शुल्क राजकोषीय आदेश 1932 में संशोधन के माध्यम से हैं, जो दोनों संविधान पूर्व कानून हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 372 के प्रावधानों द्वारा असंवैधानिकता की चुनौती से बचाए गए हैं। यह कहा गया है कि पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) अनुच्छेद 366 के खंड (10) के भीतर एक मौजूदा कानून है और इसलिए, संवैधानिक चुनौती से मुक्त है। इसके अलावा, पंजाब आबकारी राजकोषीय आदेश 1932 का आदेश 1-ए, जब मूल रूप से प्रख्यापित किया गया था, तत्कालीन पंजाब राज्य के भीतर लागू था और उक्त अधिनियम के तहत इसकी परिभाषा के संदर्भ में शराब को संशोधित किया गया था। निर्यात शुल्क की वसूली मूल रूप से वैध थी और यहां तक कि बाद में इसमें वृद्धि को भी शामिल नहीं किया जा सकता था। यह भी कहा गया है कि लागू किए गए संशोधित राजकोषीय आदेश अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं करते हैं और किसी भी मामले में अनुच्छेद 305 के प्रावधानों द्वारा बचाए जाते हैं। याचिकाकर्ता का यह कहना कि निर्यात शुल्क यदि संसद के अधिनियम द्वारा ही लगाया जा सकता है, तो इस आधार पर दूषित है कि यह केवल संविधान के बाद के कानूनों पर लागू होगा और संविधान पूर्व कानूनों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 19 (एल) (जी), 31, 265, 301 और 305 के तहत अधिकारों के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया गया है।

6. संशोधित भावना के एक संशोधन योग्य अनुच्छेद होने के संदर्भ में प्रतिवादी-राज्य का रुख यह है कि धारा 3 के खंड (6) के तहत परिभाषा को खंड (14) के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, यह मानव उपभोग के लिए मादक शराब के दायरे में आएगा।

7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, यह उचित लगता है कि कानूनी इतिहास को संक्षेप में चित्रित किया जाए, जिसके खिलाफ उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 संविधान-पूर्व कानून हैजो 1 फरवरी, 1914 को लागू हुआ था। इसकी धारा 3 अधिनियम में नियोजित विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों को सटीक रूप से परिभाषित करती है। अध्याय V में निहित धारा 31 और 32 कर्तव्यों और शुल्कों से संबंधित हैं और निर्यात योग्य वस्तुओं पर शुल्क लगाने और इस तरह के शुल्क को लगाने के तरीके का प्रावधान करती हैं। इन प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर पंजाब आबकारीऔर राजकोषीय आदेश 1932

पंजाब में लाइसेंस प्राप्त किसी भी अन्य डिस्टिलरी से हटाई गई शराब और स्प्रिट के संबंध में लगाए गए शुल्क की दरों को विस्तार से निर्धारित करते हुए या उक्त राज्य में आयात किए जाने पर जारी किए गए थे। बाद में दिनांक 28 नवम्बर, 1938 की एक अधिसूचना द्वारा आदेश 1-क को उपर्युक्त राजकोषीय आदेशों में निम्नानुसार जोड़ा गया -

> "1-ए। प्रति लंदन प्रूफ गैलन दो आना का निर्माण और निर्यात शुल्क किसी अन्य राज्य को विकृत आत्माओं के अलावा देश की भावना, संशोधित भावना और भारत निर्मित विदेशी भावना के सभी शुल्क के तहत लगाया जाएगा।

आक्षेपित राजकोषीय संशोधन आदेश, 1968, 1969 और 1974 ने उपर्युक्त प्रावधान में एक बढ़ा हुआ शुल्क प्रतिस्थापित किया है और इसलिए यह चुनौती का प्राथमिक विषय है।

8. अब प्रस्तुत तथ्यात्मक आधार और 1 प्रतिद्वंद्वी पक्षों के रुख में, यह स्पष्ट है कि जो मुद्दा सबसे पहले उठता है वह यह है कि क्या लागू किए गए राजकोषीय संशोधन आदेश (अनुबंध पी/एल, पी/2 और पी/3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (10) और अनुच्छेद 372 के अर्थ के भीतर "मौजूदा कानून" हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रतिवादी-राज्य का प्राथमिक रुख यह है कि चूंकि अधिनियम और मूल पुंजाख उत्पाद शुल्क राजकोषीय आदेश 1932 पूर्व-संवैधानिक कानून हैं, इसलिए बाद में संविधान के बाद किए गए संशोधनों को भी उसी स्वरूप का माना जाना चाहिए। कल्याणी स्टोर्स बनाम भारत में हिदायतुल्लाह, जे. (जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) की मामूली राय से यह स्पष्ट होता है कि इस दृष्टिकोण के लिए कुछ कहा जा सकता है।उड़ीसा राज्य और अन्य, (1)। हालांकि, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर, मामले को इसके विपरीत बहुमत की राय से निष्कर्ष निकाला जाता है। कल्याणी स्टोर्स केस (सुप्रा) में भी, बिहार और उड़ीसा आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 27 के तहत, 1937 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें भारत के अन्य हिस्सों से राज्य में आयातित भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर 40 रुपये प्रति लंदन प्रूफ गैलन का शुल्क लगाया गया था। हालांकि, 31 मार्च, 1961 की एक अधिसूचना द्वारा, उक्त शुल्क को 40 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति एलपी गैलन कर दिया गया था। यह वृद्धि थी जो अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती का विषय था। इसलिए, यही मुद्दा उनके लॉर्डशिप के समक्ष उठा कि क्या बाद की अधिसूचना थी

(1) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1686. -

मौजूदा कानून और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 372 द्वारा बचाया गया। यह निम्नलिखित स्पष्ट टिप्पणियों के साथ नकारात्मक था -

> "•.. . हमारे विचार में, यह तर्क कायम नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 366(10) के अनुसार, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "मौजूदा कानून" से तात्पर्य किसी कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम या विनियमन से है जो संविधान के प्रारंभ से पहले किसी कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम या विनियम द्वारा पारित या बनाया गया है, जिसके पास ऐसा कानून, अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम या विनियमन बनाने की शक्ति है। इसलिए अनुच्छेद 305 के अर्थ के भीतर मौजूदा कानून 1915 के बिहार और उड़ीसा अधिनियम 2 की धारा 27 में निहित प्रावधान था, जो राज्यसरकार को निर्धारित दर पर शुल्क लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत करता था और संविधान के समक्ष उसके अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना थी। 31 मार्च, 1961 की अधिसूचना, जिसमें अतिरिक्त बोझ डाला गया था, केवल तभी वैध हो सकती है जब यह संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

उपर्युक्त आधिकारिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए, जो एक तरह से वर्तमान मामले के साथ सभी चार पर है, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि लागू किए गए राजकोषीय आदेश संविधान से पहले के मौजूदा कानून नहीं हैं जोसंविधान के अनुच्छेद 372 के आधार पर संरक्षित या बचाए गए हैं।

9. एक बार जब पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तो आगे विचार किया जाना चाहिए कि क्या राज्य सरकार द्वारा निर्यात शुल्क लगाने या ज्यामितीय वृद्धि करने सेसंविधान के अनुच्छेद 301 के तहत देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग की गारंटी का उल्लंघन होगा। राज्य में मद्रास वी। एन. के. नटराज मुदलियार, (2) शाह, जे. ने अपने प्रमुख निर्णय में अनुच्छेद 301 के वास्तविक आयात को निम्नानुसार समझा: –

> "यहआर्टिकल सबसे व्यापक आयाम के संदर्भ में है; इस प्रकार व्यापार, वाणिज्य और संभोग को भारत के पूरे क्षेत्र में मुक्त और निर्बाध घोषित किया जाता है। इस प्रकार घोषित व्यापार की स्वतंत्रता राज्य के भीतर और साथ ही अंतर-राज्य के भीतर बाधाओं या अवरोधों को लागू करने के खिलाफ है: सभी प्रतिबंध जो सीधे और तुरंत व्यापार की आवाजाही को प्रभावित करते हैं और अनुच्छेद 301 द्वारा अप्रभावी घोषित किए गए हैं।

(2) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 147:

दीवान मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड बहुत। हरियाणा राज्य और अन्य
(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

और फिर से,

> ".... इसे स्थापित कानून के रूप में लिया जाना चाहिए कि व्यापार, वाणिज्य और संभोग के मुक्त प्रवाह को प्रत्यक्ष और तत्काल बाधित करने वाले प्रतिबंध या बाधाएं अनुच्छेद 301 द्वारा लगाए गए निषेध के अंतर्गत आती हैं और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उन्हें शून्य माना जा सकताहै।

उपर्युक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है किनिर्यात शुल्क में भारी वृद्धि राज्यों के बीच व्यापार के मुक्त प्रवाह को सीधे तौर पर बाधित या बाधित करेगी। सिद्धांत के अलावा, यहां भी, कल्याणी स्टोर्स के मामले (सुप्रा) का अनुपात समान रूप से आकर्षित होता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत, कर्तव्य में भारी वृद्धिको स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 301 का उल्लंघन माना गया था। यदि ऐसा है, तो राज्य में शराब के प्रवाह के संबंध में, इसके बहिर्वाह के संबंध में भी स्थिति समान होगी। वास्तव में, राज्य सरकार की ओर से यह भी तर्क नहीं दिया गया थाकि आयात से निर्यात के संबंध में स्थिति किसी भी तरह से अलग होगी। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि निर्यात शुल्क में वृद्धि इस प्रकार अनुच्छेद 301 का सुनियोजित उल्लंघन है।

8. अब इस संदर्भ में सब कुछ बाकीहै कि क्या संविधान के अनुच्छेद 304 और 305 किसी भी तरह से राज्य की कार्रवाई की रक्षा करते हैं। जहां तक बाद के अनुच्छेद का संबंध है, यह हमारे समक्ष स्वीकार किया गया था और वास्तव में इस पर शायद ही कोई विवाद है कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं दिया गया है। प्रतिवादी-राज्य की ओर से यह भी अनुरोध नहीं किया गया है कि लागू किए गए संशोधित राजकोषीय आदेशों को उसके खंड (ख) के आधार पर प्रख्यापित किया गया था। दलीलों के अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता इस खंड में अपने विशेष अर्थ के भीतर कोई सार्वजनिक हित नहीं बता सकते थे जो निर्यात शुल्क में वृद्धि को पवित्र कर सकता है। यह उपाय विशुद्ध रूप से राजस्व में वृद्धि के लिए किया गया प्रतीत होता है। इस संदर्भ में भी, कल्याणी स्टोर्स के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियां मुझे मामले को समाप्त करने के रूप में प्रतीत होती हैं। इसमें यह निम्नानुसार देखा गया था -

> मंत्रालय ने कहा, 'बढ़ी हुई दर पर शुल्क लगाने की अधिसूचना पूरी तरह से राजकोषीय उपाय है और इसे जनहित में व्यापार की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 301 ने व्यापार, वाणिज्य और वाणिज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की है।

> भारत के पूरे क्षेत्र में संभोग, और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब यह अनुच्छेद 304 के अंतर्गत आता है। प्रतिबंध की तर्कसंगतता को उस उद्देश्य के प्रकाश में आंका जाना चाहिए जिसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात, "जैसा कि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो सकता है। "सार्वजनिक हित में आवश्यक" समझे जाने वाले शब्दों के व्यापक वर्गीकरण में प्रवेश किए बिना, यह कहा जा सकता है; अनुच्छेद 304 (बी) के तहत वैध रूप से लगाए जा सकने वाले प्रतिबंध वे हैं जो क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता और संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं।.....

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए कि अनुच्छेद 304 और 305 इस स्थिति के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हैं।

हरियाणा के एडवोकेट जनरल श्री हरभगवान सिंह के प्रति निष्पक्षता के साथ, मैं ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट राजस्थान लिमिटेड आदि के बारे में उनके संदर्भ पर ध्यान देना चाहूंगा। बहुत। राजस्थान राज्य और अन्य, (3) और सत पाल एंड कंपनी बनाम राजस्थान डी एल्ही के लेफ्टिनेंट गवर्नर, (4)। ये मामले स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं और किसी भी तरह से कल्याणी स्टोर्स के मामले (सुप्रा) में आधिकारिक टिप्पणियों के विपरीत नहीं हैं। यह सच है कि मैसर्स में। सत पाल एंड कंपनी आदि। (v) दिल्ली के उप-राज्यपाल और अन्य, (सुप्रा) उनके लॉर्डशिप ने उक्त मामले को बड़ी मेहनत से अलग करते हुए एक स्पष्ट टिप्पणी की है, जिसमें एक अप्रत्यक्ष संदेह व्यक्त किया गया है कि क्या उक्त मामला अभी भी सही साबित हुआ है। हालांकि, विद्वान महाधिवक्ता कल्याणी स्टोर्स के मामले (सुप्रा) में विचार को पलटने के बाद के किसी भी मामले को हमारे ध्यान में नहीं ला सके , जो कि एक बड़ी पीठ द्वारा होने के कारण, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए।

9. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, इस संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि 1968, 1969 और 1974 के लागू राजकोषीय संशोधन आदेश (अनुलग्नक पी/एल, पी/2 और पी/3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं।

9-ए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं ध्यान देना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री भागीरथ दास ने अपनी दृढ़ता के साथकहा था कि यदि उपरोक्त संदर्भ पर उनके रुख को स्वीकार किया जाता है (जैसा कि यह रहा है), तो वह अपने फैसले पर जोर नहीं देना चाहेंगे।

(3) ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1406.
(4) ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1550.

28 फरवरी की अधिसूचना द्वारा संशोधित भावना पर दो आना प्रति एलपी गैलन के निर्यात शुल्क को चुनौती दी गई। 1938. नतीजतन, यह प्रश्न - क्या संशोधित स्प्रिट मानव उपभोग के लिए एक मादक शराब है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 3 (6) के तहत एक निर्यात योग्य अनुच्छेद जिस पर कोई शुल्क लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अकादमिक है और इसलिए, मैं इसका विज्ञापन करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं।

10. इसलिए रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और लागू आदेश, अर्थात् पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा संशोधन) आदेश, 1968 और पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा प्रथम संशोधन) आदेश, 1969 और पंजाब आबकारी राजकोषीय (हरियाणा द्वितीय संशोधन) आदेश, 1974 को रद्द किया जाता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, याचिकाकर्ता केवल उक्त राजकोषीय आदेशों के तहत उसके द्वारा भुगतान किए गए निर्यात शुल्क की वापसी का हकदार होगा । हालांकि, यह 28 नवंबर, 1938 की पूर्व अधिसूचना संख्या 4518 की वैधता और प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें पंजाब राजकोषीय आदेश, 1932 में आदेश 1-ए जोड़ा गया था, जो अभी भी लागू है।

11. इसमें शामिल कुछ जटिल सवालों को देखते हुए, हम पार्टियों को अपनी लागत ों को वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

डी.एस. तेवतिया, जे-मैं सहमत हूं। ■

एन.के.एस.

एस. एस. संधावालिया से पहले सीजे। एम. आर. शर्मा, जे.

जगदीश राय मोंगा और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1980 का 2856 ।

17 मई, 1982।

पंजाब नगर सुधार अधिनियम *(*1922 का 4) - धारा *72*-एफ और *103* - धारा *103* के तहत कार्य करने वाली सरकार द्वारा भंग किए गए सुधार ट्रस्ट इस तरह के विघटन अनिवार्य रूप सेट्रस्ट को हटाने के लिए मजबूर करते हैं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा